UPLK010097942024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 1536/2024</u>

सरकार **बनाम** ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री
अ0सं0 120/2024
धारा–342,376,506 भा0द0सं0
तथा धारा 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

<u>02–12–2024</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निोत्री जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342, 376, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(V) के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 16.12.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010097942024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 1536/2024</u>

सरकार **बनाम** ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री
अ0सं0 120/2024
धारा–342,376,506 भा0द0सं0
तथा धारा 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–बिजनौर, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, दिनेश मिश्रा, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 24–04–2024 को समय अदम तहरी थाना बिजनौर, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत स्थित पुष्पेन्द्र नगर में आप अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा वादिनी मुकदमा सुनीता गौतम की पुत्री पूजा को को सदोष परिरोध किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा वादिनी मुकदमा सुनीता गौतम की पुत्री पूजा के साथ बलात्कार किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा वादिनी मुकदमा सुनीता गौतम की पुत्री पूजा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा वादिनी मुकदमा सुनीता गौतम की पुत्री पूजा (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) को सदोष परिरोध कर उसके साथ बलात्कार कारित किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान

में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

दिनांकः 02–12–2024

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

दिनांकः 02–12–2024